

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी रेखा कुंवर विपक्षी लाल सिंह
 किस्म मुकदमा 212 24 25 पत्रावली संख्या 94/24 सन _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>10/03/25 ककुलाय वादी/प्रतिवादी उप. <u>कावेरि</u> नं. 1 के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>कावेरि</u> की शर्त पर भ्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>25/05/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>my</u> SDO मावली</p> <p>5/5/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>21/7/25</u> को पेश हो। DI^o</p> <p>21/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>25/8/25</u> को पेश हो। DI^o</p> <p>25/8/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>26/8/25</u> को पेश हो। DI^o</p>	



26/8/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में वारिस कायमी में लम्बित हैं। प्रार्थीगण को वारिस कायमी हेतु पधार्ति क्षवसर दिया गया था परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अब तक वारिस कायमी नहीं करवाई गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के प्रति सजग नहीं हैं एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम फैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार लेकर नम्बर से कम हों।

निर्णय चुले न्यायालय चुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) मावली